झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
त्रयोदश (मानसून) सत्र
वर्ग–05

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक– 29 आषाढ़ 1940 (श0) ..... को 20 जुलाई, 2018 (ई0)

झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0	विभाग को भेजी गई सा0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
135	रा–03	श्री अशोक कुमार,	बंदोबस्ती करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	08.07.2018
136	रा–10	श्री राज कुमार यादव,	दोषि अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	12.07.2018
137	स0–08	श्री फूलचन्द मंडल,	अस्पताल की स्वीकृति	स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	08.07.2018
138	स0–11	श्रीमती गंगोत्री कुजूर,	कर्मियों की स्थायी नियुक्ति	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	11.07.2018
139	स0–12	श्री आलमगीर आलम,	प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ कराना।	स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	11.07.2018
140	स0–05	श्री रबीन्द्रनाथ महतो,	ट्रेनिंग सेन्टर प्रारंभ करना	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	08.07.2018
141	स0–09	श्री नागेन्द्र महतो,	कार्रवाई करना।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एंव परिवार कल्याण	09.07.2018
142	रा0–09	श्री जगरनाथ महतो,	विभागीय कार्रवाई करना	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	11.07.2018
143	स0–07	श्री फूलचन्द मण्डल,	राशि उपलब्ध कराना।	स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण।	08.07.2018

1.	2.	3.	4.	5.	6.
#	144–श्रनि0–02 उ0 स0	श्री कुणाल षड़ंगी,	स्थापना की स्वीकृति।	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एंव कौशल विकास	08.07.2018
*	145–स0–13 उ0 स0	श्रीमती जोबा मांझी,	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	11.07.2018
*	146–क0–02 उ0 स0	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन,	प्रमाण–पत्र निर्गत करना	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	07.07.2018
	147–स0–06 उ0 स0	श्री अरूप चटर्जी,	कार्य प्रारंभ करना।	स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	08.07.2018
	148–स0–15 उ0 स0	श्री केदार हजरा,	चिकित्सा कर्मियों का पदस्थापन।	स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	12.07.2018
	149–रा0–06 उ0 स0	श्री साधु चरण महतो,	बंदोबस्ती संबंधी जानकारी	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	09.07.2018
	150–स0–17 उ0 स0	श्री बादल,	कार्रवाई करना	स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	13.07.2018
	151–स0–16 उ0 स0	श्रीमती गंगोत्री कुजूर,	स्वास्थ केन्द्र चालू करना	स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	12.07.2018
	152–रा0–02 उ0 स0	श्री कुणाल षड़ंगी,	सर्वे सेटलमेंट कराना	राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार	08.07.2018
	153–श्रनि–03 उ0 स0	श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता,	कार्य प्रारंभ करना	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	09.07.2018
	154–स0–03 उ0 स0	श्री भानु प्रताप शाही,	संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई	स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	08.07.2018
	155–श्रनि0–01 उ0 स0	श्री भानु प्रताप शाही,	पढ़ाई की व्यवस्था करना	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	08.07.2018
	156–स0–18 उ0 स0	श्री जानकी प्रसाद यादव,	प्रतिनियुक्ति करना	स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	13.07.2018
	157–स0–01 उ0 स0	श्री दशरथ गागराई,	सम्मान राशि देना	राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार	08.07.2018
	158–रा0–04 उ0 स0	श्री आलमगीर आलम,	लगान की व्यवस्था करना	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	08.07.2018
	159–रा0–13 उ0 स0	प्रो0 स्टीफन मराण्डी,	दावा को खारिज करना	राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार	13.07.2018
	160–श्रनि0–06 उ0 स0	श्री साधु चरण महतो,	प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ करना	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	13.07.2018
	161–श्रनि0–04 उ0 स0	श्री प्रकाश राम,	प्रशिक्षण केन्द्र प्रारंभ करना	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	11.07.2018
	162–श्रनि0–05 उ0 स0	श्रीमती जोबा मांझी,	प्रशिक्षण कार्य शुरू करना	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	12.07.2018

कृ0पृ0उ0

नोट :- श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापांक– 1104 दिनांक–11.07.18 द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना, झारखण्ड राँची को स्थानांतरित

1.	2.	3.	4.	5.	6.
163	सं0–12	श्रीमती सीमा देवी,	जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराना	राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार	13.07.2018
164	रा0–05	श्री राम कुमार पाहन,	कार्रवाई करना	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	08.07.2018
165	रा0–08	श्री चमरा लिण्डा,	दाखिल खारिज करना	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	11.07.2018
166	सं0–10	श्री कुश्वाहा शिवपुजन, मेहता	सुविधा उपलब्ध कराना	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	09.07.2018
167	सं0–02	श्री शशिभूषण सामाड़,	चिकित्साकर्मी उपलब्ध कराना	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	08.07.2018
168	रा0–07	श्रीमती विमला प्रधान,	निबंधन कराना	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	11.07.2018
169	सं0–04	श्री रबीन्द्रनाथ महतो,	औषधि केन्द्र खोलना	स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	08.07.2018
170	सं0–14	श्री पौलुस सुरीन,	स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण।	स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	11.07.2018
171	सं0–19	श्री केदार हजरा,	पदस्थापन पर विचार करना।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	13.07.2018
172	सं0–01	श्री अमित कुमार मण्डल,	स्वीकृति प्रदान करना	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	08.07.2018
173	रा0–11	श्रीमती सीमा देवी,	पंजी–II में सुधार।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार।	12.07.2018

* नोट :– कल्याण विभाग, के ज्ञाप सं0–2324,दिनांक–10.07.2018 द्वारा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग में स्थानांतरित।

राँची
दिनांक–20 जुलाई,2018 (ई0)

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–01/2018–3259/वि0स0,रांची,दिनांक– 16/07/18

प्रतिलिपि :– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

16/07/18
(छोटेलाल टुडू)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रांची।

कृ0पृ0उ0

(04)

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–01/2018–3259/वि0स0,रांची,दिनांक–16/07/18

प्रतिलिपि :– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

16/7/18

(छोटेलाल टुडू)
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–01/2018–3259/वि0स0,रांची,दिनांक–16/07/18

प्रतिलिपि :– कार्यवाही शाखा, बेवसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ ।

16/7/18

अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,रांची।

राय/

16/07

(135)

श्री अशोक कुमार, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–20.07.18 को विधानसभा में पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–03 का उत्तर सामग्री का प्रेषण–

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	श्री अशोक कुमार, माननीय स0वि0स0		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किया गया था कि जो भूमिहीन परिवार वर्ष–1985 से परती कदीम या गैरमजरूआ भूमि पर बसोवास कर रहें हैं, उन्हें वह भूमि बन्दोबस्त करते हुए उस भूमि का उन्हें बासगित पर्चा निर्गत किया जाएगा ;		स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत मात्र एक ही व्यक्ति को अभी तक भूमि बन्दोबस्ती कर बसगीत पर्चा निर्गत किया गया है ;		अस्वीकारात्मक। गोड्डा जिला के अबतक कुल–1354 लाभूकों को कुल रकबा–1175.30 एकड़ भूमि का बंदोबस्ती किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गोड्डा जिला के महागाता अनुमण्डल अन्तर्गत वैसे भूमिहीनों का समपूर्ण सर्वे कराते हुए कैम्प लगाकर भूमिहीनों को भूमि बंदोबस्ती कराने एवं उन्हें बसगित पर्चा निर्गत कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?		विभागीय संकल्क सं0–6144, दिनांक–21.12.17 द्वारा दिशा–निर्देश सभी उपायुक्त को संसूचित है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–05/स0भू0 वि0स0 (तारांकित)– 162/2018..3025..(5)/रा0 राँची, दिनांक– 19-07-18

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–3044/वि0स0, दिनांक–08.07.18 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/7/18

सरकार के अपर सचिव

136

श्री राज कुमार यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–20.07.18 को विधानसभा में पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–10 का उत्तर सामग्री का प्रेषण–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्री राज कुमार यादव, माननीय स0वि0स0	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के प्रखण्ड तिसरी अन्तर्गत विश्वविख्यात सी0एम0आई0 लि0 अबरख उद्योग का कारखाना/बंगले/तालाब/बगिचा, रिक्त सैकड़ों एकड़ भूमि का सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया है ;	अस्वीकारात्मक। प्रसंगाधीन भूमि भू–हदबंदी वाद सं.–258/73 के द्वारा सी.एम.आई एण्ड कम्पनी, कोडरमा से 112.59 एकड़ जमीन अधिग्रहित किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त परिसर की कीमती भूमि तथा अन्य खाली पड़े भूमि को राजस्व कर्मियों द्वारा अवैध रूप से भू–माफियाओं को जमाबन्दी कर दी गई है, जिसमे वे मकान/दुकान आदि बनाकर लाभ अर्जित कर रहे है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। उक्त भूमि किन्ही को बंदोबस्त नहीं की गई है, बल्कि अतिक्रमण किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त कम्पनी की अधिग्रहित भूमि को अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालो तथा दोषी पदाधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	65 व्यक्तियों द्वारा उक्त भूमि में से 4.12 एकड़ रकबा पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। अतिक्रमंणकारियों के विरूद्ध बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–08ए0/भू0अ0नि0 विधानसभा (तारां0)–105/2018.....408.....(8)/रा0 राँची, दिनांक– 19.7.18

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–3214/वि0स0, दिनांक–12.07.18 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.7.18
सरकार के उप सचिव

RobinC:\Users\HP\Desktop\Prashnuttar July 18 NEW.docx

(137)

श्री फूलचन्द मण्डल, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 20.07.18 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स0– 08 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है, कि धनबाद जिला के गोविन्दपुर प्रखण्ड अन्तर्गत विराजपुर पंचायत में लगभग 17 राजस्व गाँव है तथा यह क्षेत्र पूर्व में काफी उग्रवाद प्रभावित था ;		स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि विराजपुर पंचायत एवं इसके आस–पास के कई पंचायतों में लगभग एक लाख से अधिक की आबादी पर एक उप स्वास्थ्य केन्द्र निजी भवन में संचालित है ;		आंशिक स्वीकारात्मक। विराजपुर पंचायत के अन्तर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, विराजपुर भाड़े के मकान में संचालित है उक्त अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में दो चिकित्सक डा0 लखी प्रभा भराल एवं डा0 नताशा साहा तथा श्री बहादूर उरॉव, स्वास्थ्य प्रशिक्षक, श्रीमती खोमा मंडल ए0एन0एम0, श्रीमती मंजु कुमारी, ए0एन0एम0 पदस्थापित है जिनके माध्यम से चिकित्सा सुविधा दी जा रही है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विराजपुर पंचायत में एक रैफरल अस्पताल स्वीकृत करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		आई0पी0एच0एस0 मानक के अर्हता के अनुरूप विराजपुर पंचायत की आबादी एवं भूमि उपलब्धता के आधार पर वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजना की स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0)– 46/18– 910 स्वा0, राँची, दिनांकः 19.7.18

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 3037/वि0स0, दिनांक– 08.07.2018 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/7/18

सरकार के अवर सचिव।

138

श्रीमती गंगोत्री कुजूर, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 20.07.18 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– स– 11 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि राज्य में लंबे अरसे से एमपीडब्लू–एम (बहुद्देशीय कार्यकर्त्ता) कर्मी संविदा पर कार्यरत हैं ;	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त पद पर कार्यरत कई कर्मियों का विभागीय समायोजन वर्ष 2016 में किया गया ;	अस्वीकारात्मक।
3-	क्या यह बात सही है कि उक्त पद स्थायी स्थापना की प्रवृत्ति का सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है ;	विभागीय संकल्प सं0– 266 (15) दिनांक– 21.07.15 द्वारा एमपीडब्लू–एम (बहुद्देशीय कार्यकर्त्ता) के कुल– 2150 पद संविदा के आधार पर सेवा लिए जाने हेतु सृजित किये गयें हैं। उक्त के आधार पर ही सेवा लिया जा रहा है।
4-	क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री द्वारा उक्त पद पर कार्यरत कर्मियों को स्थायी किए जाने का वक्तव्य दिया गया ;	अस्वीकारात्मक। विभाग के संज्ञान में नहीं है।
5-	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त पदों पर कार्यरत कर्मियों की स्थायी नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दिया गया है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि0स0–07-58/18 345(15) राँची, दिनांक– 19/7/2018
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 3148 दिनांक– 11-07-18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.7.18
सरकार के उप सचिव

Tiwari

(139)

श्री आलमगीर आलम, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–20.07.2018 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित
प्रश्न सं0–स–12 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री आलमगीर आलम, मा0स0वि0स0, झारखण्ड, राँची।	**श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय, मंत्री, स्वा0 चि0शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।**
1. क्या यह बात सही है, कि राज्य के ए0एन0एम0 प्रशिक्षण स्कूलों के संचालन के लिए झारखण्ड नर्सिंग नियमावली में आवश्यक संशोधन वर्ष 2017 में कर ली गयी है ;	अस्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि ए0एन0एम0 प्रशिक्षण स्कूल, सोनाजारी, पाकुड़ में अबतक ए0एन0एम0 प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, जबकि भवन निर्माण का कार्य वर्ष 2010 में कराया गया है ;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ए0एन0एम0 प्रशिक्षण स्कूल, सोनाजारी, पाकुड़ में ए0एन0एम0 प्रशिक्षण कार्य अगले सत्र से प्रारम्भ कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	ए0एन0एम0 प्रशिक्षण स्कूल सोनाजारी, पाकुड़ में अगले सत्र से ए0एन0एम0 प्रशिक्षण कार्य पी0पी0पी0 मोड पर करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः–10/ क्यू (तारांकित)–01–05/2018 – 217(10) स्वा0/राँची/दिनांकः– 19/7/18
प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0–3151 दिनांक–11.07.1 8 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

19/7/18
सरकार के उप सचिव।

Nand Kumar/Section-10

(140)

श्री रविन्द्रनाथ महतो, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–20.07.2018 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स–05 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री रविन्द्रनाथ महतो, मा0स0वि0स0, झारखण्ड, राँची।	**श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय, मंत्री, स्वा0 चि0शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।**
1. क्या यह बात सही है, कि जामताड़ा में नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2,01,64,400 रूपये की लागत से ए0एन0एम0 ट्रेनिंग सेंटर का भवन विगत सात वर्ष पूर्व ही बनाया गया है और अभी तक इसको चालू नहीं किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि करोड़ो की लागत से बने ये ट्रेनिंग सेंटर का भवन बेकार पड़ा है और स्थानीय बालिकाओं को अन्य जिलों में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जिससे बालिकाओं को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उक्त ट्रेनिंग सेंटर को चालू करने का विचार रखती है ? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	नये ट्रेनिंग सेन्टर को पी0पी0पी0 मोड पर चालू करने के निमित कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः–10/ क्यू (तारांकित)–01–04/2018 – 218(10) स्वा0/राँची/दिनांकः– 19/7/18
प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0–3038 दिनांक–08.07.18 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

19/7/2018

सरकार के उप सचिव।

Nand Kumar/Section-10

(141)

श्री नागेन्द्र महतो, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 20.07.18 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स0– 09 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे :– 1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत बगोदर विधान–सभा क्षेत्रीधीन बगोदर सरिया अनुमण्डल के सरिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वर्ष 2008 से ही अर्धनिर्मित अवस्था में है, जिससे गरीब जनता को स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित होना पड़ रहा है ?		आंशिक स्वीकारात्मक। विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–104(6)ब दिनांक 31.07.2007 के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरिया के भवन निर्माण हेतु योजना की स्वीकृति दी गई थी। जिसका निर्माण कार्य विभागीय रूप से प्रारंभ की गई थी। वर्ष 2010 से विभागीय कार्यो पर रोक लगाये जाने के कारण कार्य अधूरा है। वर्त्तमान में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरिया संचालित है। जिसमें दो चिकित्सक डॉ0 अनिल कुमार मराण्डी एवं डॉ0 अतिकुर रहमान तथा दो ए0एन0एम0 सुनीता कुमारी, एवं मंजु कुमारी, एक प्रयोगशाला प्रौवैधिक श्री संतोष कुमार, एक पुरूष कक्ष सेवा श्री जगदीश प्रसाद एवं एक फर्मासिस्ट निखत प्रवीण पदस्थापित है। इसके अतिरिक्त सरिया प्रखण्ड के अन्तर्गत उपकेन्द्र, मदरामो, नगर केशवारी, केशवारी, कोरीडीह, खेसकरी, उर्रो, कपीलो, बन्दखारो, परिसिया एवं घुठीया पेसरा कुल 11 (ग्यारह) स्वास्थ्य उपकेन्द्र संचालित है। उपरोक्त के माध्यम से सरिया प्रखण्ड के ग्रामीणों को चिकित्सीय सुविधा दी जा रही है।
2. यदि उपयुक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण कराने तथा दोषी पदाधिकारियों एवं संवेदक पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		प्रश्नाधीन योजना का अधूरे कार्य पूर्ण कराने के निमित विभागीय अर्द्ध सरकारी पत्र सं0– 96 दिनांक 13.07.2018 के द्वारा उपायुक्त, गिरिडीह से निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु सक्षम स्तर से तकनिकी अनुमोदित अद्यतन दर पर पुनरीक्षित प्राक्कलन तथा उक्त कार्य का अब तक लंवित रखने हेतु दोषी अभियंताओं/कर्मियों को चिन्हित करते हुए प्रतिवेदन की मांग की गई है। प्रतिवेदन प्राप्त होते ही विभाग के स्तर से अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0)– 52/18– 909 स्वा0, राँची, दिनांकः 19·7·18

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 3062/वि0स0, दिनांक– 09.07.2018 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/7/18

सरकार के अवर सचिव।

(142)

श्री जगरनाथ महतो, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–20.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा.–09 का प्रश्नोत्तर :–

	प्रश्न		उत्तर
	श्री जगरनाथ महतो, माननीय स.वि.स.		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है गिरिडीह जिलान्तर्गत डुमरी अंचल में पदस्थापित अंचल अधिकारी, रविन्द्र कुमार पाण्डेय भ्रष्टाचार में लिप्त हैं;		श्री रविन्द्र कुमार, अंचल अधिकारी, डुमरी के विरूद्ध साक्ष्य सहित आरोप प्राप्त होने पर जाँचोपरांत नियमानुसार कार्रवाई करने पर विचार किया जाएगा।
2.	क्या यह बात सही है कि अंचल अधिकारी, रविन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा आज तक एक भी दाखिल खारिज नहीं किया गया है?		अस्वीकारात्मक। इनके कार्यकाल में 320 दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गई है।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त अंचल अधिकारी के विरूद्ध 21.06.2018 को आम जनता द्वारा अंचल कार्यालय, डुमरी पर धरना एवं प्रदर्शन भी किया गया था;		झारखण्ड मुक्ति मोर्चा–डुमरी प्रखण्ड ईकाई द्वारा दिनांक–21.06.2018 को निम्नलिखित मांग के आलोक में धरना प्रदर्शन किया गया है :– 1.झारखण्ड भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल अविलम्ब वापस लो। 2. बिजली बढ़ोतरी बिल अविलम्ब वापस लो। 3. डुमरी प्रखण्ड आपूर्त्ति कार्यालय में ग्रामीणों द्वारा जमा किये गये राशन कार्ड का आवेदन फार्म अतिशीघ्र राशन कार्ड बनवा कर वितरण किया जाय। 4. पारा शिक्षकों को अविलम्ब स्थायी किया जाय। 5. डुमरी में पदस्थापित भ्रष्ट अंचलाधिकारी को अविलम्ब हटाया जाय। 6. मंगरगड़ी में भूख से मृतक सावित्री देवी के परिवार को अविलम्ब मुआवजा दिया जाय। 7. डुमरी प्रखण्ड में प्रधानमंत्री आवास में लूट खसोट बंद करो। 8. गरीबों के पेशनधारियों को पेंशन अविलम्ब चालू करों। 9. डुमरी को जिला घोषित किया जाय।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त अंचल अधिकारी को अविलम्ब स्थानांतरित करते हुए इन पर विभागीय कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		उपर्युक्त कंडिका–1 के अनुरूप कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।

कृ.पृ.उ.

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–9 / आरोप–वि.स. –64 / 2018 3027 (9) / रा., राँची, दिनांक– 19-07-18

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं. प्र.–3155 / वि.स., दिनांक–11.07.2018 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / मा0 मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची / विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.07.18
सरकार के उप सचिव

(143)

श्री फूलचन्द मण्डल, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 20.07.18 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स0– 07 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के बलियापुर एवं गोविन्दपुर प्रखण्ड अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 में स्वीकृत 30 शैय्यावाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का निर्माण कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, धनबाद के द्वारा कराया जा रहा है ;		स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का अवशेष कार्य पूरा करने हेतु ग्रा0वि0वि0प्रम0 धनबाद के अर्द्ध स0 पत्रांक 747 दिनांक 09.08.2016 द्वारा उपायुक्त, धनबाद से तथा पत्रांक–247, दिनांक–18.03.2017 द्वारा ग्रा0वि0 विशेष प्रक्षेत्र, राँची से वर्त्तमान अनुसूचित दर पर पुनरीक्षित प्राक्कलन का मांग किया गया है।		स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित स्थानों पर 30 शैय्यावाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का पुनरीक्षित प्राक्कलन के आधार पर राशि उपलब्ध कराते हुए शेष कार्य को पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		वस्तु स्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2008–09 में प्रश्नाधीन योजना की स्वीकृति 3,53,59,200/– रूपये पर दी गयी थी। जिसका निर्माण कार्य उपायुक्त द्वारा चयनित एजेन्सी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, धनबाद द्वारा विभागीय स्तर से कराया जा रहा था। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 में विभागीय स्तर पर कार्य कराने पर रोक लागाने के कारण योजना का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, धनबाद द्वारा योजना के अवशेष कार्यो के पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर पत्रांक 282 दिनांक 21.04.18 द्वारा मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची को तकनीकी स्वीकृति हेतु भेजा गया है। विभागीय अर्द्ध सरकारी पत्र सं0 866 दिनांक 12.07.18 द्वारा प्रश्नाधीन योजना के तकनीकी स्वीकृति हेतु सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) से अनुरोध किया गया है। प्राक्कलन के तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होते ही योजना के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर योजना का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0)– 48/18– 908 स्वा0, राँची, दिनांकः 19·7·18

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 3032/वि0स0, दिनांक– 08.07.2018 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/7/18
सरकार के अवर सचिव।

(144)

श्री कुणाल षड़ंगी, स०वि०स० द्वारा दिनांक–20.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–श्र०नि०–02 का उत्तर सामग्री :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिले के प्रखण्ड चाकुलिया तथा उसके आस–पास के क्षेत्रों में बहुत सारे उद्योग स्थापित हैं ।	1. स्वीकरात्मक ।
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त उद्योगों में जो श्रमिक कार्यरत हैं उन सभी का ई0एस0आई0 में निबंधन है।	2. आंशिक स्वीकरात्मक । कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम चाकुलिया क्षेत्र में 01 जून 2016 से कार्यान्वित है। इस कार्यान्वित क्षेत्र में 38 इकाई निबंधित है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम अन्तर्गत जिन व्यक्तियों (श्रमिकों) की मासिक वेतन रू0 21,000/– या इससे कम है, इस योजना के अन्तर्गत निबंधित होने योग्य है। तदनुसार इस क्षेत्र में 38 इकाईयों में केवल 433 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत निबंधित है।
3	क्या यह बात सही हे कि श्रमिकों का ई0एस0आई0 में निबंधन होने के बावजूद स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आज तक चाकुलिया में ई0एस0आई0 अस्पताल स्थापित नहीं किया गया है।	3. स्वीकरात्मक । कर्मचारी राज्य बीमा निगम के निर्देशों के अनुसार एक ई0एस0आई0 अस्पताल का निर्माण किसी क्षेत्र में तभी किया जा सकता है जब वहॉ न्यूनतम 50,000 बीमित श्रमिक हों, चूँकि चाकुलिया क्षेत्र में केवल 433 बीमित श्रमिक निबंधित हैं, इसलिए वहाँ कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का निर्माण नहीं कराया जा सकता है। चाकुलिया क्षेत्र के बीमित श्रमिकों की प्राथमिक चिकित्सा सुविधा के लिए घाटशिला क्षेत्र में निजी चिकित्सकों के साथ अनुबंध किया गया है। बहुत प्रयास करने के पश्चात भी चाकुलिया क्षेत्र में प्राथमिक चिकित्सा हेतु किसी निजी चिकित्सक से अनुबंध नहीं हो पाया है। इसके लिए लगातार प्रयास किये जा रहे है तथा निकट भविष्य में चाकुलिया क्षेत्र में प्राथमिक चिकित्सा हेतु चिकित्सक के साथ अनुबंध कर लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त चाकुलिया क्षेत्र में बीमित श्रमिक द्वितीयक एवं अति विशिष्ट चिकित्सा कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, आदित्यपुर एवं उनसे संबंधित अस्पतालों से प्राप्त कर सकते हैं । इसके अतिरिक्त वे पूरे देश में स्थित किसी भी कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल एवं उनसे संबंधित अस्पतालों से चिकित्सा हितलाभ प्राप्त कर सकते हैं।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में ई0एसआई0 से निबंधित श्रमिकों के लिए चाकुलिया में एक ई0एस0आई0 अस्पताल की स्थापना की स्वीकृति का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	4. अस्वीकरात्मक । उपरोक्त विवरणी के अनुसार चाकुलिया क्षेत्र में केवल 433 बीमित श्रमिक निबंधित है, इसलिए वहॉ कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का निर्माण नहीं कराया जा सकता है।

विश्वासभाजन,

ह०/–

(युगेश्वर पासवान)

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

ज्ञापांक–01 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–03–33 / 2018श्र0नि0– 1158 **राँची, दिनांक–** 19/07/2018

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं0–3031, दिनांक–08.07.2018 के प्रसंग में 200 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.7.18

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(145)

श्रीमती जोबा मांझी, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 20.07.18 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– स–13 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत खुँटपानी प्रखण्ड के लोहरदा पंचायत में स्थित मौजा कोट सोना काफी बड़ा गाँव है जहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है ;	स्वीकारात्मक। प० सिंहभूम जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खूँटपानी के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सृजित नहीं है। मौजा कोटसोना, खूँटपनी प्रखण्ड के लोहरदा पंचायत के अन्तर्गत आता है। लोहरदा पंचायत अन्तर्गत स्वास्थ्य उपकेन्द्र लोहरदा संचालित हे, जहॉ से उक्त क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती है। स्वास्थ्य उपकेन्द्र, लोहरदा में 01 ए0एन0एम0 एवं 01 एम0पी0डब्लू0 (पुरूष) कार्यरत है।
2-	क्या यह बात सही है कि उक्त इलाका में इसकी सुविधा उपलब्ध होने से चक्रधरपुर एवं खरसावाँ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को सुविधा होगी ;	स्वीकारात्मक। मौजा कोटसोना के लोगों को एवं लोहरदा पंचायत अन्तर्गत अन्य मौजा के लोगों को भी स्वास्थ्य उपकेन्द्र, लोहरदा से स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में उत्तर स्पष्ट कर दिया गया है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि0स0–07-57/18 3425 राँची, दिनांक– 19/7/18
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 3150 दिनांक– 11-07-18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.7.18
सरकार के उप सचिव

Tiwari

146

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–19.07.18 को विधानसभा में पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–क–02 का उत्तर सामग्री का प्रेषण–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, माननीय स0वि0स0	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिला के खलारी प्रखण्ड अंतर्गत विभिन्न अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एंव गरीब तबके के लोग विभिन्न गाँव जैसे–गुजारबांग, अमरूस धौड़ा, साईनगर, प्रगतिनगर, बरवाटोली, नयाधौड़ा, चाणिक्य धौड़ा तथा अन्य ग्रामों में गैरमजरूआ भूमि पर विगत 70–80 वर्षों से घर बनाकर निवास करते आ रहे है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। प्रश्नगत टोला/गांव राजस्व ग्राम खलारी एवं बुकबुका के अंतर्गत है, जिसमें पूर्व में ए0सी0सी0 को लीज पर प्रश्नगत भूमि दी गयी है। वर्ष 1935–36 में ए0सी0सी0 ने तत्कालीन जमींदार से लीज पर भूमि प्राप्त किया। तत्पश्चात् जून, 1971 में कुल रकबा–1604.64 एकड़ भूमि का लीज नवीकरण तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा किया गया था, जिसकी अवधि 1990 में समाप्त हो चुकी है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं गरीब तबके के लोगों के पास अपने रह रहें मकान का कोई कागजात नहीं है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। संबंधित मामले में सर्वेक्षण कराया जा रहा है।
3.	क्या यह बात सही है कि इनके पास मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड विद्युत बिल भुगतान रसीद, राशन कार्ड होने के बावजूद भी भूमि संबंधी कोई कागजात नहीं है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। कंडिका–2 में उत्तरित।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त गांवों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं गरीब ग्रामीणों को झारखण्ड प्रिभिलेज परसन एक्ट के माध्यम से भूमि संबंधित कागजात बासीगित पर्चा या भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र निर्गत कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रसंगाधीन भूमि पूर्व में लीज पर दी गई थी, जिससे उक्त भूमि पर झारखण्ड प्रिभिलेज परसन एक्ट के माध्यम से भूमि का वासगीत पर्चा नहीं दिया जा सकता है। परन्तु जाँचोपरान्त सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन व्यक्तियों के साथ भूमि बंदोबस्ती हेतु स्थापित प्रावधानों के आलोक में कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–04/ वि0स0 (तारां0)– 80/2018....3017....(4)/रा0 राँची, दिनांक– 18-07-18

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–2984/वि0स0, दिनांक–07.07.18 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/7/18

सरकार के अपर सचिव

RobinE:\sec3\bidhan sabha\Prashnuttar July 18.docx

147

श्री अरूप चटर्जी, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 20.07.18 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स0– 06 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत निरसा प्रखण्ड के पांड्रा मोड़ में एक रेफरल अस्पताल भवन का शिलान्यास वित्तीय वर्ष 2008–09 में किया गया था जो वित्तीय वर्ष 2012–13 में पांच करोड़ की लागत से बनकर तैयार तो हुआ, परन्तु आज दिनांक 03.07.18 तक भी इस अस्पताल में किसी प्रकार का चिकित्सीय कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है। अपितु यह भवन भी जर्जर होने लगा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राँची के द्वारा धनबाद जिलान्तर्गत निरसा प्रखण्ड में कुल 36781000/– (तीन करोड़ सड़सठ लाख इक्यासी हजार रूपये) की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना का कार्यान्वयन उपायुक्त द्वारा चयनित कार्य एजेन्सी ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, धनबाद द्वारा कराई जा रही है। उक्त योजना का भवन निर्माण कार्य पूर्ण है, परन्तु Electrical, Water Supply & Sanitary का कार्य अधूरा रहने के कारण भवन हस्तांतरित नहीं किया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि अस्पताल के चालू होने से निरसा उत्तर क्षेत्र की 14 पंचायतों के कुल डेढ़ लाख आबादी चिकित्सा सेवा सुविधा से लाभान्वित होता ;	अस्वीकारात्मक। वस्तुतः निरसा प्रखण्ड में कुल 8 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, यथा अम्बोना, बेनागड़िया–1, बेनागड़िया–2 चिरकुण्डा, जयपुर, मदनपुर, सालूकचपड़ा एवं तेतुलिया तथा 20 स्वास्थ्य उपकेन्द्र यथा सिरपुरिया, संगामहल, उपचुरिया, उरमा, गण्डुवा, गोपालपुर, अम्बोना, मेढ़ा, बेनागड़िया–1, विरसिंहपुर, बादलपुर, बरबिन्दीया, कलियाशोल, खोखरा पहाड़ी, खौरकियारी, पिण्ड्राहाट, डूमरकुण्डा, तेतुलिया, घाघरा एवं मोराडीह संचालित है, जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही है।
3. यदि उपयुक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब उक्त अस्पताल मो चालू कराने सम्बन्धी सभी विषयों पर समुचित कार्रवाई करने का बिचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नाधीन योजना के अवशेष कार्य यथा Electrical, Water Supply & Sanitary को पूर्ण कराने के लिए कार्यकारी एजेन्सी द्वारा कुल 1,22,45,659/– (एक करोड़ बाईस लाख पैतालीस हजार छः सौ उनसठ रूपये) का पुनरीक्षित प्राक्कलन पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राँची को उपलब्ध कराया गया है। योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0)– 47/18– 914 स्वा0, राँची, दिनांक: 19·7·18

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 3036/वि0स0, दिनांक– 08.07.2018 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/7/18

सरकार के अवर सचिव।

(148)

श्री केदार हाजरा, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–20.07.18 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– सं– 15 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखण्ड के शिवुडीह में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है, परन्तु अब तक स्थापना अनुमति नहीं दी गई है ;	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 के अस्पताल को स्थापना अनुमति नहीं मिलने से अब तक चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मी का पदस्थापन नहीं हो पाया है, जिससे स्थानीय जनता को स्वास्थ्य की सुविधा से बंचित होना पड़ रहा है ;	अस्वीकारात्मक। चिकित्सक एवं राज्य संवर्ग के पारा कर्मियों का पदस्थापन भवन निर्माण कार्य पूर्ण होनें के उपरांत ही की जायेगी, जिसमें जिला संवर्ग के कर्मियों की उपलब्धता आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएगी। शिवुडीह ग्राम में निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन के आस पास के ग्रामीणों को स्वास्थ्य उपकेन्द्र रेम्बा, धुरैता एवं करीहारी में पदस्थापित ए0एन0एम0 के द्वारा वर्त्तमान में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शिवुडीह को स्थापना अनुमति देते हुए चिकित्सक एंव चिकित्सा कर्मी का पदस्थापन कने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दिया गया है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि0स0–07-59/18 343(15) राँची, दिनांक– 19/7/2018
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 3211 दिनांक– 12-07-18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.7.18
सरकार के उप सचिव

Tiwari

148/A

श्री केदार हाजरा, मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक 20.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या सं० –15 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखण्ड के शिवुडीह में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, का भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है, परन्तु अब तक स्थापना अनुमति नहीं दी गई है।	स्वीकरात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 के अस्पताल को स्थापन अनुमति नहीं मिलने से अबतक चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मी का पदस्थापन नहीं हो पाया है, जिससे स्थानीय जनता को स्वास्थ्य की सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है।	आंशिक स्वीकरात्मक। शिवुडीह ग्राम में नवनिर्मित प्रा०स्वा० केन्द्र भवन के आसपास के ग्रामिणों को स्वास्थ्य उपकेन्द्र रेम्बा, धुरैता एवं करीहरी द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
3.	क्यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शिवुडीह को स्थापना अनुमति देते हुए चिकित्सक तथा चिकित्साकर्मी का पदस्थापन करने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शिवुडीह में पद सृजन की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 3/वि०स०–03–18/2018 581(3) राँची, दिनांकः 19/7/18

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 3211/वि०स० दिनांक 12.07.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.07.18

उप

सरकार के ~~अवर~~ सचिव

149

श्री साधुचरण महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–20.07.18 को विधानसभा में पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–06 का उत्तर सामग्री का प्रेषण–

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	श्री साधुचरण महतो, माननीय स0वि0स0		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावाँ जिला के कोपाली नगर पंचायत क्षेत्र अन्तर्गत विगत दस वर्षों के दौरान जमीन का व्यापक पैमाने पर बंदोबस्ती हुआ है जिससे इस क्षेत्र में सार्वजनिक उपयोग हेतु सरकारी भूमि का अभाव हो गया है जिसके कारण सरकारी विनिर्माण कार्यों में काफी परेशानियाँ उत्पन्न हो रही है;		अस्वीकारात्मक। सरायकेला–खरसावाँ जिला के कपाली नगर पंचायत क्षेत्र अन्तर्गत विगत दस वर्षों के दौरान कोई बंदोबस्ती नहीं हुई है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में सरायकेला–खरसावाँ जिला के कोपाली नगर पंचायत क्षेत्र अन्तर्गत विगत दस वर्षों के दौरान किन–किन लोगों के पक्ष में कहाँ–कहाँ जमीन बंदोबस्ती किन परिस्थिति में किए गए है इसकी जानकारी देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		कंडिका–1 में उत्तरित है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–4/स0भू0 वि0स0 (तारां0)– 78/2018...2989...(4)/रा0 राँची, दिनांक– 16-07-18

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–3059/वि0स0, दिनांक–09.07.18 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7/18

सरकार के अपर सचिव

(150)

श्री [illegible]दल, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 20.07.18 को पूछा जाने वाला तारांकित
<u>प्रश्न संख्या– स– 17 का उत्तर प्रतिवेदन।</u>

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि स्वास्थ्य निदेशालय के पत्रांक–1034 (23) दिनांक–28.06.18 के द्वारा कतिपय लिपिकों, ए०एन०एम०, संगणक तथा पुरूष परिवार कल्याण कार्यक्रर्त्ता जो की जिला स्तरीय कर्मी हैं का अंतर जिला स्थानांतरण निदेशक प्रमुख के द्वारा बिना विभागीय प्रधान सचिव के अनुमोदन के किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सेवा संहिता में स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत स्थानांतरण हेतु दिये गये दिशा निर्देश के अनुसार जिलास्तरीय कर्मियों का अंतर जिला स्थानांतरण विभागीय सचिव/प्रधान सचिव के अनुमोदन के उपरांत ही किया जाना है ;	स्वीकारात्मक। 1. मंत्री मंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्र सं0–2679 दिनांक–12.08.1996 की कंडिका–3 उक्त कंडिका (ख) में यह उल्लेख है कि जिन मामलों में स्थानान्तरण एवं पदस्थापन की शक्तियॉं अधीनस्थ पदाधिकारियों में प्रत्यायोजित है, यदि किसी विशेष परिस्थिति में स्थानान्तरण या पदस्थापन आवश्यक प्रतीत होता है तो प्राधिकृत पदाधिकारी को अपने उच्चतर पदाधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 2. स्वास्थ्य विभागीय पत्र सं0–11/नि0प्र0 दिनांक–20.01.92 की कंडिका– 6 (ठ) में यह अंकित हे कि विशेष परिस्थिति में प्रशासनिक आधार पर सरकार का अनुमोदन लेकर किसी भी कर्मचारी का स्थानान्तरण/पदस्थापन राज्य भर में कहीं भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य निदेशालय के पत्रांक–1034 (23) दिनांक–28.06.2018 द्वारा किया गया स्थानान्तरण विशेष परिस्थिति में नहीं किया गया है, यह सामान्य स्थानान्तरण प्रक्रिया के तहत मंत्री मंडल सचिवालय एंव समन्वय विभाग के अधिसूचना सं0– 1529 दिनांक–08.12.17 में निहित प्रावधान के अनुसार किया गया है।
3-	क्या यह बात सही है कि पूर्व में भी तत्कालीन निदेशक प्रमुख डॉ0 सुमन्त मिश्रा के द्वारा अपने कार्यकाल में जिलास्तरीय कर्मियों का अंतर जिला स्थानांतरण किया गया था, जिसे सेवानिवृत्त निदेशक प्रमुख डॉ0 प्रवीण चन्द्रा के द्वारा उक्त स्थानांतरण को रद्द कर दिया गया था ;	स्वीकारात्मक।
3-	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उपरोक्त स्थानांतरण आदेश को निरस्त करते हुए बार–बार आदेश की अवहेलना करने वाले पदाधिकारी/संलिप्त कर्मचारी के उपर कार्यवाई करने का विचार रखती है, हॉं तो कब तक नही तो क्यों ?	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दिया गया है।

झारखंड सरकार
<u>स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग</u>

ज्ञाप सं० : 15/वि0स0–07-61/18 350(15) रॉंची, दिनांक– 19-7-18

<u>प्रतिलिपि</u> : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, रॉंची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 3229 दिनांक– 13-07-18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[signature] 19.7.18
सरकार के उप सचिव

Tiwari

(151)

श्रीमती गंगोत्री कुजूर, मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक 20.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या सं० –16 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिला के अन्तर्गत बेड़ो प्रखण्ड के नरकोपी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन विगत 6 वर्ष पहले पूर्ण होने के बावजूद अभी तक चालू नहीं किया गया है;	अस्वीकरात्मक। राँची जिला के बेड़ो प्रखंड के नरकोपी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भवन का निर्माण पूर्ण नहीं होने के कारण हस्तगत् नहीं कराया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्र चालू होने से वहाँ की जनता को चिकित्सा क्षेत्र में काफी सुविधा हो सकेगी;	स्वीकरात्मक। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नरकोपी द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र को चालू करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	भवन निर्माण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात नवर्निमित भवन में स्वास्थ्य केन्द्र का चालू करने का विचार सरकार रखती है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 3/वि०स०–03–20/2018 587(3) राँची, दिनांकः 19.7.18

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 3212/वि०स० दिनांक 12.07.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(152)

श्री कुणाल षड़ंगी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–20.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा–2, प्रश्नोत्तर :–

क्र० सं०	प्रश्न	क्र० सं०	उत्तर
	श्री कुणाल षड़ंगी, माननीय स०वि०स०		श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि सन् 1964 के बाद आज तक पूर्वी सिंहभूम जिले में दोबारा सर्वे सेटेलमेंट नहीं हुआ है, जिसके कारण अद्यतन नक्शा उपलब्ध कराने तथा वन भूमि सही–सही सीमांकन तथा जमीन संबंधि मामले का सही निष्पादन नहीं हो पा रहा है ;		आंशिक स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में नये सिरे से पूर्वी सिंहभूम जिले का सर्वे सेटेलमेन्ट कराने का विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?		भू–सर्वे सेटेलमेन्ट कराने संबंधित कार्यबल की नियुक्ति प्रकियाधीन है । कार्यबल उपलब्ध होते ही अद्यतन भू–सर्वे की कार्रवाई की जायेगी ।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक–02 / भू०अ०परि०नि० (तारा०)–28 / 2018 364 / नि०रा०, राँची, दिनांक– 16-07-18

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञाप संख्या–3027 / वि०स०, दिनांक–08.07.2018 के प्रसंग में उत्तर की 200 प्रति (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / मा० मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची / विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/07/18
सरकार के उप सचिव
भू–अभिलेख एवं परिमाप ।

153

श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता, स०वि०स० द्वारा दिनांक–20.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–श्र०नि०–03 का उत्तर सामग्री :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत हरिहरगंज, पिपरा, हैदरनगर, मोहम्मदगंज प्रखण्ड में आई0 टी0 आई0 संस्थानों में शैक्षणिक कार्य शुरू नहीं किये गये हैं;	स्वीकारात्मक ।
2	क्या यह बात सही है कि शिक्षण / प्रशिक्षण कार्य शुरू नहीं होने के कारण हजारों गरीब छात्र / छात्राओं को शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु जिला मुख्यालय या अन्य संस्थानों पर जाना पड़ता है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक ।
3	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसी सत्र से शैक्षणिक कार्य प्रांरभ कराने का विचार रखती है; हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अगामी वित्तीय वर्ष में राज्य स्तर पर आई0टी0आई0 की आवश्यकता का आकलन एवं राशि की उपलब्धता के आधार पर पलामू जिलान्तर्गत हरिहरगंज, पिपरा, हैदरनगर, मोहम्मदगंज प्रखण्ड में नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना पर सरकार विचार करेगी।

ह०/–
(युगेश्वर पासवान)
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

ज्ञापांक–01 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–03–34 / 2018श्र0नि0– 1144 राँची, दिनांक– [illegible]

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं0–3060, दिनांक–09.07.2018 के प्रसंग में 200 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 13.7.18
सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

E:\San\Rahul\Vidhan Sabha\03-34-2018.docx

(154)

श्री भानु प्रताप शाही, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 20.07.18 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स0– 03 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला अन्तर्गत भवनाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य वर्ष 2008 में प्रारम्भ किया गया था, जो अभी तक अधुरा पड़ा है ;		स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य पूरा करने वाली एजेन्सी, संवेदक के उपर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं किये गये है ;		अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि योजना का निर्माण कार्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राँची अन्तर्गत उपायुक्त, गढ़वा द्वारा चयनित कार्य एजेन्सी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल (ग्रामीण कार्य मामले), गढवा द्वारा कराया जा रहा है। उक्त एजेन्सी के पत्रांक–920 दिनांक 24.5.2018 के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भवनाथपुर का भवन निर्माण कार्य संवेदक द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 में ही बन्द कर दिया गया है। संवेदक के एकरारनामा को विखंडित करते हुए जमानत की राशि जब्त कर ली गई है तथा संवेदक को काली सूची में नाम दर्ज करने की अनुशंसा संबंधित विभाग को की गई है प्रश्नाधीन योजना के अवशेष कार्य को पूर्ण कराने हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड राँची को तकनीकि स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया गया है। प्राक्कलन पर तकनीकि अनुमोदनोपरांत योजना के अवशेष कर्यो के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दोषी एजेन्सी एवं संवेदक के उपर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		उपरोक्त कंडिका–2 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0)– 49/18– 906 स्वा0, राँची, दिनांकः 19.7.18

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 3039/वि0स0, दिनांक– 08.07.2018 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/7/18
सरकार के अवर सचिव।

155

श्री भानु प्रताप शाही, स०वि०स० द्वारा दिनांक–20.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–श्र०नि०–01 का उत्तर सामग्री :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला अन्तर्गत प्रखण्ड नगर उंटारी में आई0 टी0 आई0 कॉलेज बनकर तैयार है;	स्वीकारात्मक ।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त आई0 टी0 आई0 कॉलेज में छात्र–छात्राओं का शिक्षण एवं प्रशिक्षण व्यवस्था अभी तक आरंभ नहीं हो सकी है, जिससे क्षेत्र के हजारों छात्र–छात्राओं को प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल पा रहा है;	स्वीकारात्मक ।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नगर उंटारी आई0 टी0 आई0 कॉलेज में पढ़ाई की व्यवस्था वर्त्तमान वर्ष में प्रारंभ कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नगर उटॉरी का प्रशासनिक भवन/वर्कशॉप इत्यादि क्षतिग्रस्त होने के फलस्वरूप मरम्मति हेतु कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल, गढ़वा से उपायुक्त, गढ़वा के माध्यम से प्राक्कलन एवं भवन की मरम्मति की आवश्यकता की जाँच करते हुए स्पष्ट अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के लिए लिखा गया है। मरम्मति कार्य पूरा कर आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ कराया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह०/–
(युगेश्वर पासवान)
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

ज्ञापांक–01/श्र0नि0प्र0(वि0स0)–03–32/2018श्र0नि0– 1151 राँची, दिनांक– 18/07/2018

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं0–3030, दिनांक–08.07.2018 के प्रसंग में 200 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18.7.18
सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

E:\San\Rahul\Vidhan Sabha\03-32-2018.docx

156

श्री जानकी प्रसाद यादव, मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक 20.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या सं० –18 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिले के चलकुशा प्रखण्ड के स्वास्थ्य केन्द्र में मात्र एक डॉक्टर प्रतिनियुक्त है,	अस्वीकरात्मक। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चलकुशा में 3 चिकित्सक एवं 1 आयुष चिकित्सक कार्यरत है।
2.	क्या यह बात सही है कि पूरे प्रखण्ड की ग्रामीण जनता चिकित्सा सुविधा हेतु इसी एकमात्र डॉक्टर पर निर्भर है,	अस्वीकरात्मक।
3.	क्यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस अस्पताल में अतिरिक्त महिला एवं पुरुष डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 3/वि०स०–03–17/2018 584(3) राँची, दिनांकः 19.7.18

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 3231/वि०स० दिनांक 13.07.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

157

श्री दशरथ गागराई, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–20.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0 01 का प्रश्नोत्तर :–

	प्रश्न	उत्तर
	श्री दशरथ गागराई, माननीय स.वि.स.	**माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।**
1.	क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावां जिला के कुचाई प्रखंड के मानकी/मुण्डा/ग्राम प्रधान/डाकुवाओं को सरकार द्वारा निर्धारित सम्मान राशि का भुगतान शुरू नहीं किया गया है,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के अन्य जिलों में समकक्ष पदाधिकारियों को सरकार द्वारा निर्धारित सम्मान राशि का भुगतान ससमय किया जाता है,	आंशिक स्वीकारात्मक। गृह विभाग के संकल्प संख्या–1649, दिनांक–11.04.2018 के अनुसार 2017–18 के पूर्व तक संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, साहेबगंज एवं पाकुड़ में परम्परागत ग्राम प्रधानों एवं प0 सिंहभूम जिलान्तर्गत (कोल्हान एवं पोड़ाहाट क्षेत्र) के ग्राम प्रधान यथा–ठीकेदार एवं प्रधान, मानकी, मुण्डा एवं डाकुवा को सम्मान राशि का भुगतान गृह विभाग द्वारा किया जाता रहा है। वित्तीय वर्ष 2017–18 से उक्त सम्मान राशि का भुगतान राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा किया जा रहा है। गृह विभाग के उक्त संकल्प में सरायकेला–खरसावाँ के मानकी, मुण्डा एवं डाकुवा को सम्मान राशि का भुगतान किये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।

3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कुचाई प्रखण्ड के मानकी/मुण्डा/ग्राम प्रधान/डाकुवाओं को सम्मान राशि देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिक–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। सरायकेला–खरसावाँ जिले के कुचाई अंचल के मानकी मुण्डा एवं डाकुवा को सम्मान राशि भुगतान नहीं किये जाने संबंधित तथ्यों के जाँचोपरान्त नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–06/वि.स. तारां.–178/2018 3024/रा., राँची, दिनांक–19-07-18

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं. 3026/वि.स., दिनांक–08.07.2018 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मा0 मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/7/18

सरकार के अपर सचिव

(158)

श्री आलमगीर आलम, माननीय स0वि0स0द्वारा दिनांक–20.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या रा0–04, प्रश्नोत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्री आलमगीर आलम, माननीय स0वि0स0	**श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन, एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।**
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी जिलों में जमीन का लगान अब मात्र Online से ही प्राप्त करने करने का प्रावधान है ;	स्वीकारात्मक। DILRMP योजना अंतर्गत राज्य के सभी 264 अंचलों के खाता खतियान एवं पंजी–II का डिजिटाईजेशन पूर्ण कर लिया गया है। उक्त के पश्चात सभी अंचलों में Online लगान रसीद निर्गत करने की व्यवस्था की गई है।
2.	क्या यह बात सही है कि पाकुड़, साहेबगंज एवं धनबाद सहित अधिकांश जिलों के मौजों में Online लगान जमा नहीं होने से रैयतों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** ''मंत्रिपरिषद् द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि ''अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकार जांचोपरान्त रद्द करने'' के संबंध में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत निदेश पत्रांक–2074/रा०, दिनांक–13.05.2016 के क्रम में अवैध जमाबंदी रद्द करने हेतु खोले गए अभिलेखों पर अंतिम आदेश पारित होने तक पूर्व में निर्गत मैनूअल लगान रसीद के आधार पर ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। अवैध जमाबंदी के अभिलेखों में पारित अंतिम आदेश से उपरोक्त निर्णय प्रभावित होगा। वैसे सभी अन्य मामले, जिसमें किसी प्रकार की कार्यवाही के बिना भी लगान रसीद निर्गत किया जाना बाधित है, उन सभी मामलों में भी ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने की व्यवस्था करते हुए रसीद निर्गत किया जाय''। विभागीय पत्रांक–2884/रा०, दिनांक–10.07.2017 द्वारा सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, सभी उपायुक्त, झारखण्ड को उक्त निर्णय के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में पाकुड़, साहेबगंज एवं धनबाद सहित सभी जिलों के मौजों में एक निर्धारित समय–सीमा के अन्दर त्रुटियों को दूर कर Online लगान प्राप्ति व्यवस्था ठीक कराने का विचार रखती है हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–01 (निदे0अभि0) / वि0स0–35 / 2018...371.../ नि0रा0, राँची, दिनांक–19-07-18

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं0–3025 / वि0स0 दिनांक–08.07.2018 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / मा0 मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची / विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/07/18

उप सचिव–सह–उप निदेशक

(159)

श्री स्टीफन मराण्डी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–20.07.18 को विधानसभा में पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–13 का उत्तर सामग्री का प्रेषण–

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	श्री स्टीफन मराण्डी, माननीय स0वि0स0		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिलान्तर्गत मौजा–कुरडेग, थाना संख्या–12, कुरडेग के खाता संख्या–1119 से रकवा–15 एकड़ जमीन की बन्दोबस्ती रोमन कैथोलिक विशप, राँची के नाम से दिनांक–30.12.1945 को की गयी है,		आंशिक स्वीकारात्मक। सिमडेगा जिलान्तर्गत अंचल–कुरडेग, थाना सं0–12, खाता सं0–218, प्लॉट सं0–1119, रकबा–15 एकड़ जमीन सर्वे खतियान में गैर मजरूआ मालिक लगान पानेवाला रोमन कैथोलिक विशप ऑफ राँची के रूप में दर्ज है। इस जमीन की बंदोबस्ती जमीनदार ने हुकुमनामा के द्वारा दिनांक–30.12.1945 को सुपीरियर ऑफ सिस्टर्स ऑफ संत अन्ना को की गई थी।
2.	क्या यह बात सही कि वर्णित भूखण्ड का लगान रसीद निर्मला उच्च विद्यालय, खालीजोर, सिमडेगा, कुरडेग के नाम से अभी तक कटता आया है,		स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय, जिसमें वर्त्तमान में लगभग 1000 से भी अधिक छात्र–छात्राएं अध्ययनरत् है, एक जमाने से गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का एकमात्र केन्द्र रहा है,		स्वीकारात्मक।
4.	क्या यह बात सही है कि विद्यालय को वर्ष 1945 में 15 एकड़ जमीन मिलने के लगभग 12 वर्षों के बाद वर्ष 1956 में उक्त भू–खण्ड में से नौ एकड़ जमीन का स्वामित्व वन विभाग को देने से विद्यालय के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया है,		आंशिक स्वीकारात्मक। अंचल–कुरडेग, मौजा– कुरडेग, थाना सं0–12, खाता सं0–218, प्लॉट सं0–1119, रकबा–8.11 एकड़ अधिसूचना सं0–3740 RT दिनांक–05.12.1955 द्वारा अधिसूचित वन भूमि है।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित भू–खण्ड पर वन विभाग के अनावश्यक दावा को खारिज करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		विषयगत मामला W.P(C) No.-171/96 गोदावर्मन थिरूमूलकपद–बनाम्–भारत सरकार एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–12.12.1996 को पारित न्यायादेश से आच्छादित है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–4/स0भू0 वि0स0 (तारां0)– 82/2018....303/.....(4)/रा0 राँची, दिनांक– 19-07-18

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–3228/वि0स0, दिनांक–13.07.18 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/7/18

सरकार के अपर सचिव

(160)

श्री साधु चरण महतो, स०वि०स० द्वारा दिनांक–20.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–श्र०नि०–06 का उत्तर सामग्री :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावाँ जिला के चांडिल में एक आई0 टी0 आई0 भवन बनकर तैयार है पर अबतक शिक्षण/प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक ।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित स्थल में अनेक छोटी–बड़ी कम्पनी स्थापित है, परन्तु इन कम्पनियों में स्थानीय युवक/युवतियों को प्रशिक्षण के अभाव में नौकरी नहीं मिल पा रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	यदि उक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में उक्त आई0टी0आई0 कॉलेज में वर्त्तमान सत्र से ही शिक्षण/प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चांडिल का भवन निर्माणाधीन है। निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् प्रशिक्षण प्रारंभ किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह०/–
(युगेश्वर पासवान)
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

ज्ञापांक–01/श्र0नि0प्र0(वि0स0)–03–41/2018श्र0नि0– 1152 **राँची, दिनांक–**18/07/2018

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं0–3224, दिनांक–13.07.2018 के प्रसंग में 200 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18.7.18
सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

E:\San\Rahul\Vidhan Sabha\03-41-2018.docx

(161)

श्री प्रकाश राम, स०वि०स० द्वारा दिनांक–20.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–श्र०नि०–04 का उत्तर सामग्री :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिलान्तर्गत बालूमाथ बारीयातु एवं हेरहंज प्रखण्ड में छात्र–छात्राओं को माध्यमिक शिक्षा उपरान्त तकनीकी शिक्षा हेतु स्थानीय तौर पर एक भी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है;	स्वीकारात्मक ।
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त प्रखण्ड के छात्र/छात्राओं तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर CCL, Hindalco जैसे कई क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं;	स्वीकारात्मक ।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त प्रखण्डों यथा बालूमाथ, बारीयातू एवं हेरहंज में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है; हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अगामी वित्तीय वर्ष में राज्य स्तर पर आई0टी0आई0 की आवश्यकता का आकलन एवं राशि की उपलब्धता के आधार पर लातेहार जिलान्तर्गत बालूमाथ, बारीयातू एवं हेरहंज प्रखण्ड में नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना पर सरकार विचार करेगी।

विश्वासभाजन,

ह०/–
(युगेश्वर पासवान)
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

ज्ञापांक–01/श्र0नि0प्र0(वि0स0)–03–38/2018श्र0नि0– 1145 **राँची, दिनांक–** 17/07/2018

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं0–3152, दिनांक–11.07.2018 के प्रसंग में 200 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17.7.18
सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

E:\San\Rahul\Vidhan Sabha\03-38-2018.docx

(162)

श्रीमती जोबा मांझी, स०वि०स० द्वारा दिनांक–20.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–श्र०नि०–05 का उत्तर सामग्री :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मनोहरपुर विधान–सभा क्षेत्र में दस वर्ष पूर्व आई0 टी0 आई0 भवन का निर्माण हो चुका है, किन्तु प्रशिक्षण का कार्य अबतक प्रारंभ नहीं की गई है;	स्वीकारात्मक ।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त आई0 टी0 आई0 क्रियाशील नहीं होने की वजह से छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण हेतु बाहर जाना पड़ रहा है;	स्वीकारात्मक ।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में मनोहरपुर में निर्मित आई0टी0आई0 केन्द्र में प्रशिक्षण का कार्य अविलम्ब शुरू करना चाहती है, नहीं तो क्यों ?	सी0एस0आर0 के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मनोहरपुर (पश्चिमी सिंहभूम) को Sail Raw material Division के माध्यम से संचालित करने का निर्णय लिया था परन्तु उक्त कम्पनी के Loss की स्थिति में होने के कारण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मनोहरपुर (पश्चिमी सिंहभूम) संचालित करने में असमर्थता व्यक्त किया गया। तदोपरान्त सरकार द्वारा उक्त संस्थान को संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए पद सृजन की कार्रवाई की जा रही है, ताकि प्रशिक्षण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा सके।

विश्वासभाजन,

ह०/–

(युगेश्वर पासवान)
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

ज्ञापांक–01/श्र0नि0प्र0(वि0स0)–03–39/2018श्र0नि0– 1153 राँची, दिनांक– 18/7/2018

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं0–3219, दिनांक–12.07.2018 के प्रसंग में 200 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18.7.18

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

E:\San\Rahul\Vidhan Sabha\03-39-2018 P.docx

163

श्रीमती सीमा देवी, माननीया स0वि0स0 द्वारा दिनांक–20.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–रा0–12 का प्रश्नोत्तरः–

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
	श्रीमती सीमा देवी, माननीया स0वि0स0	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत सोनाहातु प्रखंड के मौजा–लान्दुपडीह, थाना सं0–1 के खेवट सं0–26 के विविध वाद सं0–07/07–08 में विभागीय ज्ञापांक–4165, दिनांक–09.08.2017 द्वारा संसूचित है कि दोषियों पर समुचित कार्रवाई हेतु अनुमंडल पदाधिकारी बुंडू को निदेशित किया गया है, परंतु अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।	स्वीकारात्मक। उपायुक्त, राँची द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संबंधित मामले में दोषी पदाधिकारी/राजस्व कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त भूमि पर सेस वसूली आदेश हेतु वंशावली राजस्व कर्मचारी एवं अंचलाधिकारी द्वारा अलग–अलग बनाया गया है?	स्वीकारात्मक। दोनों वंशावली में भिन्नता है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड (1) में वर्णित निदेशित पदाधिकारी द्वारा इसी वित्तीय वर्ष में जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए अग्रेतर कार्रवाई का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उक्त मामले में 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर नियमानुसार कार्रवाई कर ली जायेगी।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक– 06/वि0स0(तारा0)–185/2018 3043 (6)/रा0, राँची, दिनांक– 19-07-18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–3225, दिनांक–13.07.2018 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/7/18

सरकार के अपर सचिव।

(164)

श्री रामकुमार पाहन, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–20.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा.–05 का प्रश्नोत्तर :–

	प्रश्न		उत्तर
	श्री रामकुमार पाहन, माननीय स.वि.स.		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है, कि राँची जिलान्तर्गत ओरमांझी प्रखण्ड मुख्यालय में अंचल कार्यालय में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी श्री नन्दकिशोर सिंह द्वारा खाता, प्लॉट, एवं रकबा में ऑनलाईन सुधार हेतु श्री दिलीप बेदिया ओरमांझी निवासी से 3000 रू. (तीन हजार) रूपया लेने के बावजूद अबतक सुधार नहीं किया गया है तथा उक्त कर्मचारी के विरूद्ध मेरे द्वारा मा. विभागीय मंत्री विभागीय सचिव एवं उपायुक्त, राँची को दिनांक–10.04.18 को शिकायत किया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।		आंशिक स्वीकारात्मक। आवेदक श्री दिलीप बेदिया, पिता–श्री टुसू बेदिया, ग्राम–बड़ा गगारी, पो.–डहु, थाना–ओरमांझी, जिला–राँची द्वारा समर्पित आवेदन पत्र को संज्ञान में लेते हुए जाँचोपरांत प्रशासनिक दृष्टिकोण से श्री नन्द किशोर सिंह, राजस्व कर्मचारी को तमाड़ अंचल में स्थानांतरण कर दिया गया है। आवेदक के द्वारा दिये गये आवेदन के आलोक में मौजा–ओरमांझी, के प्लॉट सं.–989 का ऑनलाईन प्रविष्टि कर दी गयी है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त कर्मचारी के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		संबंधित कर्मचारी को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–6 / वि.स. तारांकित–180 / 2018.....3026.....(6) / रा., राँची, दिनांक–.19-07-18

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं. प्र.–3028 / वि.स., दिनांक–08.07.2018 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / मा0 मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची / विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/7/18

सरकार के अपर सचिव

(165)

श्री चमरा लिण्डा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–20.07.18 को विधानसभा में पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–08 का उत्तर सामग्री का प्रेषण–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्री चमरा लिण्डा, माननीय स0वि0स0	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि ग्राम डीबडीह, थाना नं0–27 प्रखण्ड एवं जिला गुमला का खाता नं0–107 प्लॉट नं0–1507 रकबा–8.89 खतियान में गैरमजरूआ मालिक के नाम से दर्ज है;	स्वीकारात्मक। गुमला जिला के गुमला अंचलान्तर्गत मौजा डीबडीह, थाना नं0–27, खाता नं0–107, प्लॉट नं0–1507 कुल रकबा–8.98 एकड़ भूमि आर. एस. खतियान में गैरमजरूआ मालिक दर्जा जंगल साखू नाम लगान पाने वाला राम प्रताप लाल साहू के नाम से दर्ज है।
2.	क्या यह बात सही है कि गैरमजरूआ मालिक को कोई जमींदार 1946 यानि जमींदारी समाप्त होने के बाद हुकुमनामा द्वारा किसी व्यक्ति को बिक्री कर सकता है;	अस्वीकारात्मक। बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा–4(h) के अनुसार 01 जनवरी, 1946 के पश्चात् गैर मजरूआ मालिक भूमि का हस्तांतरण प्रथम दृष्टया विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है।
3.	यदि उपरोक्त खाता नं0–107 प्लॉट नं0–1507 रकबा–8.98 एकड़ LAND REFORMATION ACT 1950 के धारा 5,6,7 के तहत् उस गाँव के जमीनदार ने अपने नाम से 1956 में RENT FIXATION कराया है तो क्या सरकार हुकुमनामा के आधार पर मालिक के पक्ष में दाखिल–खारिज करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	मौजा डीबडीह, थाना नं0–27, खाता नं0–107, प्लॉट नं0–1507 कुल रकबा–8.98 एकड़ भूमि का जमाबंदी पंजी–2 के पृष्ठ सं.–249 भोल्यूम–2 में श्रीमती आरती लाल जौजे नवकुमार लाल के नाम से कायम था, जिसे उनके द्वारा विभिन्न रैयतों को उक्त प्लॉट में से 7.21 एकड़ भूमि बिक्री किया गया, तदनुसार उक्त रैयतों के नाम से दाखिल–खारिज होकर नया जमाबंदी कायम हुआ है। उपरोक्त मामले में जाँचोपरांत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–4/स0भू0 वि0स0 (तारां0)– 79/2018...3032...(4)/रा0 राँची, दिनांक– 19-07-18

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–3153/वि0स0, दिनांक–11.07.18 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/7/18

सरकार के अपर सचिव

C:\Users\win8.1\Desktop\Prashnuttar July 18.docx

श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–20.07.18 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– स– 10 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि पलामू जिला अन्तर्गत हरिहरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एव हुसैनाबाद अनुमंडलीय स्वास्थ्य केन्द्र में मूलभूत सुविधाओं यथा बेड, ब्लड बैंक, ऑपरेशन थियेटर, ई0सी0जी0 एवं सीटी स्कैन नहीं होने से मरीजों को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पाता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। पलामू जिला अन्तर्गत हरिहरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ऑपरेशन थियेटर तथा 08 बेड उपलब्ध है, जिसमें 03 प्रसव गृह, 03 सामान्य 02 आकास्मिक सेवा में क्रियाशील है। हुसैनाबाद अनुमंडल अस्पताल में सी0टी0 स्कैन नहीं है, इ0सी0जी0 एवं ऑपरेशन थियेटर क्रियाशिल नहीं है, ब्लड स्टोरेज यूनिट का अनुज्ञप्ति प्राप्त है एवं क्रियाशील है। इस अस्पताल में 30 बेड है जिसमें 06 सामान्य, 06 एफ0आर0यू0, 06 प्रसवोत्तर, 02 आकास्मिक एवं 10 कुपोषण उपचार में क्रियाशील है।
2-	क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य केन्द्र मुलभूत सुविधा नहीं रहने के कारण वर्णित प्रखण्डों के मरीजों को स्वास्थ्य संबंधित जॉच कराने जिला मुख्यालय जाना पड़ता है ;	अस्वीकारात्मक। हरिहरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं हुसैनावाद अनुमंडल अस्पताल में केवल गंभीर मरीज को ही एम्बुलेंस के द्वारा बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए सदर अस्पताल भेजा जात है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अविलम्ब वर्णित स्वास्थ्य केन्द्रों पर मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दिया गया है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि0स0–07-53/18 349(15) राँची, दिनांक– 19/7/2018
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र0– 3061 दिनांक– 09-07-18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.7.18
सरकार के उप सचिव

Tiwari

(167)

श्री शशि भूषण सामाड़, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 20.07.18 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– स–02 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि प0 सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर अनुमण्डल अस्पताल में वर्षों से यूनिट के आधार पर चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मी का पद रिक्त है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। प0 सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर अनुमण्डल अस्पताल में कुल 11 पदों के विरूद्ध 02 चिकित्सा पदाधिकारी एवं 01 उपाधीक्षक पदस्थापित है। इसके अलावा अनुबंध के आधार पर 02 चिकित्सक कार्यरत हैं। अनुमंडल अस्पताल, चक्रधरपुर के लिए अलग से चिकित्सा कर्मी का पद सृजित नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चक्रधरपुर में कार्यरत चिकित्सा कर्मियों से ही अनुमंडलीय अस्पताल चक्रधरपुर में कार्य लिया जाता है।
2-	क्या यह बात सही है कि चक्रधरपुर अनुमण्डल अस्पताल में चिकित्सा कर्मी के अभाव में स्थानीय आमजन को जिले से बाहर तथा निजी अस्पतालों में चिकित्सा के लिए जाना पड़ता है, जिससे उन्हें मानसिक एवं आर्थिक कठिनाईयाँ उठानी पड़ती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। अनुमंडलीय अस्पताल, चक्रधरपुर में पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थापित/कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारियों एवं चिकित्सा कर्मियो के द्वारा अनुमंडलीय अस्पताल, चक्रधरपुर में उपलब्ध संसाधनों से मरीजों को चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान की जाती है। गंभीर मरीजों को ही बेहतर ईलाज के लिए उच्चतर संस्थानों में भेजा जाता है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार चक्रधरपुर अनुमण्डल अस्पताल में यूनिट के आधार पर चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मी उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दिया गया है। विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद पर नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। अनुशंसा प्राप्त होने पर रिक्त पदों पर चिकित्सकों को पदस्थापित किया जायेगा।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि0स0–07-51/18346(15) राँची, दिनांक– 19/7/2018
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 3035 दिनांक– 08-07-18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.7.18
सरकार के उप सचिव

Tiwari

(168)

13/नि॰ (विधान सभा) 02/2018.....

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

श्रीमती विमला प्रधान,स॰वि॰स॰ द्वारा दिनांक 20.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या रा॰–07 का उत्तर सामग्री

क्र॰	प्रश्न	उत्तर
	श्रीमती विमला प्रधान, मा॰स॰वि॰स॰	**श्री अमर कुमार बाउरी, मा॰मंत्री,राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रांची।**
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के निबंधन विभाग द्वारा स्वंयसेवी संस्था के निबंधन हेतु Online आवेदन लिया जाता है और निबंधन में अनावश्यक रूप से विलम्ब किया जाता है ;	**अस्वीकारात्मक।**
2.	क्या यह बात सही है कि रांची जिला में निबंधन हेतु "द कर्मवीर ग्रुप" जिसका अस्थाई ID से 8459 दिनांक–09.06.17 द्वारा Online आवेदन किये जाने के उपरांत अभी तक संस्था का निबंधन नहीं किया गया है ;	**अस्वीकारात्मक।** दिनांक–13.07.2018 को संस्था का निबंधन किया जा चुका है। जिसका निबंधन संख्या–68 है।
3	क्या यह बात सही है कि द कर्मवीर ग्रुप द्वारा सभी कागजात विभाग में जमा करवाने के बाद भी नित्य नयी (Objection) आपत्ति किया जा रहा है ;	**अस्वीकारात्मक।** निबंधन हेतु आवेदन ऑनलाईन रूप से पक्षकारों द्वारा समर्पित किए जाते है तथा विभागीय पोर्टल पर अपलोड किए गए चेक सिल्प के अनुरूप नहीं रहने की स्थिति में त्रुटि सुधार हेतु आवेदन पक्षकार को लौटाया जाता है तथा पक्षकार द्वारा त्रुटि सुधार करने के उपरांत निबंधन किया जाता है। त्रुटि सुधार हेतु आवेदन पक्षकार को विभाग द्वारा लौटाया गया था तथा पक्षकार द्वारा त्रुटि सुधार करने के उपरांत निबंधन संपादित कर दिया गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार द कर्मवीर ग्रुप का निबंधन कराने का विचार रखती है हॉ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

ज्ञापांक :– 13/नि॰ (विधान सभा) 02 /2018 -1178/वि॰ राँची, दिनांकः... 19-7-18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापक सं॰ 3154, दिनांक–11.07.18 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ (दो सौ प्रति के साथ) प्रेषित।

अशोक कुमार
18-07-18
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :– 13/नि॰ (विधान सभा) 02 /2018 -1178/वि॰ राँची, दिनांकः... 19-7-18

प्रतिलिपिः– आप्त सचिव, माननीय मंत्री (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अशोक कुमार
18-07
सरकार के अवर सचिव

(169)

श्री रवीन्द्र नाथ महतो, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–20.07.2018 को सदन में पूछा जाने वाला
तारांकित प्रश्न संख्या–स0–04 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला में संचालित सभी CHC केन्द्रों में जन औषधि केन्द्र नहीं रहने से गरीब तबके के लोगों को मंहगी दवा खरीदना पड़ता है।	आंशिक स्वीकारात्मक है। जामताड़ा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जन औषधि केन्द्र नहीं है। स्वास्थ्य केन्द्रों को विभाग द्वारा आवश्यक दवाओं की आपूर्ति की जाती है। इसके आलावा विभागीय स्तर से दवा मद में उन्हें राशि भी आवंटित की जाती है, जिससे आवश्यकतानुसार दवा क्रय कर चिकित्सा हेतु आने वाले मरीजों को उपलब्ध करायी जाती है।
2	क्या यह बात सही है कि जिले के सभी CHC केन्द्रों में जन औषधि केन्द्र खुल जाने से ग्रामीण क्षेत्र के गरीब व्यक्तियों के लिए काफी सुविधा होगी।	आंशिक स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त जिला में संचालित सभी CHC केन्द्रों में जन औषधि केन्द्र खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	दिनांक–25.05.2018 को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची तथा BPPI (Bureau of Pharma Public Sector Undertakings of India) जो उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय, भारत सरकार का एक उपक्रम है, के बीच पूरे राज्य में 250 जन औषधि केन्द्र खोलने हेतु MOU पर हस्ताक्षर हुआ है। वर्त्तमान में जन औषधि केन्द्र के संचालन हेतु एजेंसी के चयन की नीति एवं प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है। एजेंसी का चयन होने पर स्थल चिन्हितकरण कर जन औषधि केन्द्र खोला जायेगा।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,

ज्ञापांक–16/वि0स0 (तारांकित)–13–03/2018 110 (16) स्वा/राँची, दिनांक 19.07.2018
प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–3034 दिनांक–08.07.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

19.7.2018
सरकार के अवर सचिव।

(170)

श्री पौलुस सुरीन, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–20.07.18 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– स–14 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिलान्तर्गत बानों प्रखण्ड के बेड़ाईरगी पंचायत एवं अन्य बहुत पंचायतों में स्वास्थ्य उपकेन्द्र नहीं है जिसके कारण वहाँ के निवासियों को चिकित्सा में घोर परेशानी हो रही है ;	अस्वीकारात्मक। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, बानो द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार सिमडेगा जिलान्तर्गत बानो प्रखण्ड के बेड़ाईरगी पंचायत में स्वास्थ्य उपकेन्द्र ओल्हान लगभग 4 कि0मी0, स्वास्थ्य उपकेन्द्र सुतरौली लगभग 2 कि0मी0 एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्र रब्बई लगभग 2 कि0मी0 पर स्थित है। बेड़ाईरगी पंचायत के सभी आम जनता को स्वास्थ्य उपकेन्द्र के द्वारा चिकित्सा सुविधा दी जा रही है बानो प्रखण्ड अन्तर्गत सभी पंचायतों में स्वास्थ्य उपकेन्द्र है, जिससे आम जनता को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाती है।
2-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बेड़ाईरगी पंचायत एवं अन्य पंचायतों में स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण जनहित में शीघ्र कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि0स0–07-56/18 3544(15) राँची, दिनांक– 19/7/2018
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 3149 दिनांक– 11-07-18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.7.18
सरकार के उप सचिव

Tiwari

171

श्री केदार हाजरा, मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक 20.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या सं० –19 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखण्ड अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मिर्जागंज तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नवडीहा में स्वीकृत पद के अनुरुप चिकित्सक तथा चिकित्सा कर्मी का पदस्थापन नहीं है;	आंशिक स्वीकरात्मक। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नवाडीह में 1 चिकित्सक एवं 3 कर्मी कार्यरत हैं तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मिर्जागंज में 2 पाराकर्मी कार्यरत है
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में दर्शाए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पर स्वीकृत पद के अनुरुप चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मी के कमी के कारण स्थानीय जनता को काफी कठिनाईओं का सामना करना पड़ता है;	अस्वीकरात्मक। प्रा०स्वा०केन्द्र, मिर्जागंज एवं नवाडीह में पदस्थापित पारा कर्मी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी जमुआ के द्वारा चिकित्सकों के रोस्टर के अनुरुप उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दोनो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सृजित पद के अनुरुप चिकित्सक तथा चिकित्सा कर्मी का पदस्थापन पर विचार रखती है, हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	चिकित्सकों के उपलब्धता के आधार पर पदस्थापन पर विचार किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 3 / वि०स०–03–19 / 2018 585 (3) राँची, दिनांक: 19.7.18

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 3230 / वि०स० दिनांक 13.07.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

(172)

श्री अमित कुमार मंडल, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 20.07.18 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स0– 01 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत बंसतराय को प्रखण्ड का दर्जा 2010 में दिया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्र यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा नहीं दिया गया है और अब तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सहारे प्रखण्ड स्तरीय अस्पताल कार्यरत है, जहाँ पर नियमित डॉक्टर, कर्मी समेत अन्य सुविधाओं का घोर अभाव है रहने के कारण बसंतराय प्रखण्ड के रोगियों को गोड्डा सदर अस्पताल पर निर्भर रहना पड़ता है, जो जिला मुख्यालय से 30 कि0मी0 दूर है जिस कारण प्रखण्ड वासियों को कई तरह का कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ;	प्रश्नाधीन प्रखण्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है, जहाँ दो चिकित्सा पदाधिकारी, दो ए0एन0एम0, एक स्वास्थ्य प्रशिक्षक, एक प्रयोगशाला प्रवैधिक, एक लिपिक,एक फर्मासिस्ट, दो चतुर्थवगीय कर्मी का पद स्वीकृत है। वर्त्तमान में वहाँ एक स्वास्थ्य प्रशिक्षक एक लिपिक, एक प्रयोगशाला प्रावैधिक एवं एक आयुष चिकित्सक पदस्थापित एवं कार्यरत है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पथरगामा से चिकित्सक को प्राधिकृत कर एवं चार अनुबंध ए0एन0एम0 को पदस्थापित कर चिकित्सीय कार्य कराया जाता है। बसंतराय में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की चिकित्सीय सेवा प्रदान की जा रही है। प्रखण्ड मुख्यालय सदर अस्पताल की दूरी 30 कि0मी0 है परन्तु बसंतराय मुख्यालय से 15–18 कि0मी0 की दूरी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पथरगामा अवस्थित है, जहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्तर की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बसंतराय प्रखण्ड को प्रखण्ड स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा देते हुए वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तु स्थिति यह है कि गैर जनजातीय क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्थापना हेतु आई0पी0एच0एस0 मापदण्ड के अनुरूप कुल 1,20,000 जनसंख्या निर्धारित की गई है, जब कि जनगणना– 2011 के अनुसार बसंतराय प्रखण्ड का कुल जनसंख्या 93448 है। अतः वर्तमान में विषयाधीन प्रखण्ड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति नियमानुकूल प्रतीत नहीं होता है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0)– 50/18– 905 स्वा0, राँची, दिनांकः 19.7.18

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 3033/वि0स0, दिनांक– 08.07.2018 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/7/18

सरकार के अवर सचिव।

(173)

श्रीमती सीमा देवी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–20.07.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–11 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्न श्रीमती सीमा देवी, मा०स०वि०स०		उत्तर माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी जिले में जमीन संबंधी रजिस्टर के पंजी–2 की जमीन के ऑनलाईन रिकार्ड में शून्य बताया जा रहा है ;		अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि राँची जिला के अनगड़ा, सिल्ली, राहे और सोनाहातु अंचलों के पंजी–2 में सुधार के मामले सर्वाधिक लंबित है ;		अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार एक माह के अंदर पंजी–2 में शून्य हुए खातों को शीध्र सुधार करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		प्रत्येक महीने के 1ली तारीख से 10 वीं तारीख के बीच पंजी–2 में सुधार हेतु ऑनलाईन पोर्टल खोलने की व्यवस्था की गई है जिसमें त्रुटि सुधार का कार्य निरंतर किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–01/(निदे०अभि०) वि०स०–36/2018 – 370/रा० राँची, दिनांक– 19-07-18

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–3215, दिनांक–12.07.2018 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/ अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/07/18

सरकार के उप सचिव।